

I 5365/2021



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 751627

लीज सीड (पट्टा विलेख) गैर वर्ष से अनाधिकत
लीज सीड 30 वर्ष मासिक किराया 3000 / - रु0
वार्षिक किराया-36000 / -स्टाम्प कीमत रु 4,510 / -



मे कि फौजिली कमरा सिविल-प्र सीट न संख्या 6 प्रजा उपभाषा गाड़ी नित
एली भी इस अकश रिक्त निवासी प्रजा प्रजापुर चण्डौरी परगना सिटी अ
नगरपाल अजयपुर जिला अजयपुर-मर नं० 0 3450454224 नैन नं०
3450454224 आगर संख्या 7828 6824 1122 एतान एत न गाणीर
गळिका एतकालत एत नैरिजत इला प्रजा न प्रजा प्रजापुर चण्डौरी
कण्डौरी अजयपुर-मर संभागत नून नैरिजत इली नली सिड नली

श्री श्री सिंह

श्री श्री सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

श्री 251630

श्री राम प्रताप सिंह निवासी राम प्रतापपुर चण्डी परगना गिर्जादा
 गहरीवा अलाहाबाद जिला अखंडकरणगर गांधीनगर 208504/94329 में
 25/07/1974 का आधार सख्त 2878 882- 0-22 द्वितीय पक्ष में दिनांक
 19/07/74 को प्रथम पक्ष अर्थात् एककिता पांचाई राशियां 2885/रु/0005000 में
 से मात्र राशियां 2272 प्रथम पक्ष को राम प्रतापपुर चण्डी परगना गिर्जादा
 गहरीवा अलाहाबाद जिला-अखंडकरणगर के अन्तर्गत स्थित भूमे से
 जिसका बीबी नूत्र-जमीन मालिकी पब्लिक एजुकेशनल एव कैलिंगल
 ट्रस्ट व प्रसिद्ध जमीन मालिकी पब्लिक एजुकेशनल एव कैलिंगल ट्रस्ट
 व उत्तर प्रांतीय मालिकी कम्पना शिक्षण-प्रशिक्षण राश्यान व शिक्षण-सेवा
 कर्म संस्थान आदि द्वितीय पक्ष को एकराका जमीन मालिकी पब्लिक
 एजुकेशनल एव कैलिंगल ट्रस्ट प्राण व पौल प्रतापपुर चण्डी गहरीवा
 अखंडकरणगर को मजाने हेतु भूमि की आवश्यकता थी इसलिए अर्थात्
 आवश्यकताओं का एक प्रथम पक्ष से किया और 19/07/74 को
 निम्नलिखित शर्त पर अपनी चाहेका भूमि 30 वर्ग छे लिए मानिक करवा
 पर देने का वेगार हो गए । अतः - यह लि सख्त भूमि जो उत्तर
 प्रांतीय स्थित है तथा एकराका भूमि से 300 वर्गमीटर में निर्माण है को
 2000/-रु मासिक जिसका मासिक निश्या 30000/-रु होता है

श्री श्री सिंह

श्री श्री सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


BB 951051

-3-

सिचको ३८ वर्ष के लिए लीज पर देने को तय किया गया है। धारा-२ यह कि तय शुदा न्यायिक क्रियया द्वितीय पर प्रत्येक मास को यहाँ तशेय को अना कएत शरण और प्रयन नक्ष लरिए लरिए द्वितीय प्राप्ता करता रहेगा। धारा ३-४३ कि प्रयन का अन्दर पि.न.न. ३० अर्ध कर द्वितीय पर ले लान व इन्वेन्टर/अडिवालय में लिखी प्रकार का कोई अख्यान दिए नहीं करेगा। धारा-६ यह कि अब अीनने मिथक ३० मय द्वितीय पर लीज शुदा सम्पति को कएत प्रयन पर के तुलने करेगा। धारा ७ यह कि इस लीज की केप-३०-००-२०२१५३ से ०५.०६.२०६२ तक ही विहितान् रहेगी। धारा ८ यह कि द्वितीय पर प्रथम परा की सम्पति में माल में परिवर्तन आगा लीज-फोटो/निर्माण आवश्यकतापुसार कर सकेगा। धारा ९-४६ कि तयशुदा न्यायिक क्रियया द्वितीय पर विहितान् कर से अछा करता रहेगा।

अंगीकार

अंगीकार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

US 95742

—4—

तथा किराया न देने ज्यवा प्रयोग यह बात हिंदीय पत्र के अन्त में
 प्रथम में ज्ञापन करना कर्तव्य की है त में हिंदी पत्र को यह
 उद्देश्य होगा कि आवधिक में न्यायालय में गान नकल कर सकेंगा
 है । बात है यह कि हिंदीय पत्र एक आशुली में अपनी आवश्यकता के
 अनुसार ज्यवा प्रयोग को इस कालेज का समाजक कर प्रथम में
 करे आपति नहीं होगी । पारा 3-4 के एक हीज आवधिक के बाद
 आपकी सम्मति से हीज आवधिक करके जा सकेंगी है । पारा 3-4 के
 प्रति गेहें में यह कथन बर्णित नहीं के विपरीत कई कार्यवाही को
 हिंदीय पत्र को यह अधिकार होगा कि न्यायालय में गान कर समाजक में

आशीर्भ



आशीर्भ



भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

गारुड कोषा

₹. 500



27 JUN 2017
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40 954803

—

बल्लभ उर्फ न्याय की प्राप्ति के किसी समान उज्ज्वल की
विनिश्चय के गैर न्यायिक कोषा। उत्तर प्रदेश कोषा न्यायिक कोषा
जिनो विनी और प्रमाण के कर्तव्य के साथ 20,000/- रुपये का
गुना माने 2,00,000/- रुपये और न्यायिक कोषा पर न्याय
कोषा बाहर होने की गजह से 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प
रु-4,516/- रुपये का दिनांक रहा है। लेखक को जीव जीव
लिखित रूप में दिया कि प्रमाण रहे और जिनो न्यायिक कोषा
कोषा यह जीव जीव कर्तव्य के साथ न्यायिक कोषा दिनांक की प्रमाण रहे

श्री श्री श्री

श्री श्री श्री



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

पुनर्पत्रण, उत्तर प्रदेश

18AE 022022

-6-

इस पुनर्पत्रण पुनः आवृत्ति प्रमाण पत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गैर न्यायिक न्यायालय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि यह प्रमाण पत्र 20/06/2022 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि यह प्रमाण पत्र 20/06/2022 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि यह प्रमाण पत्र 20/06/2022 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि यह प्रमाण पत्र 20/06/2022 के बाद जारी किया गया होना चाहिए।

आशीर्षित

आशीर्षित

Handwritten signature and stamp of the official.

Handwritten signature and stamp of the official.

Handwritten signature and stamp of the official.



आशीर्षित
उत्तर प्रदेश गैर न्यायिक न्यायालय
आशीर्षित

आशीर्षित
उत्तर प्रदेश गैर न्यायिक न्यायालय
आशीर्षित

~~48/19~~
~~18/12/2021~~

12
2021-1900


सत्यमेव जयते

आवेदन सं०: 202100910006359

बही संख्या : जिल्द संख्या 6231 के पृष्ठ 179 में 195 पकळमका
5955 पर दिनांक 07/08/2021 को अधीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार के अधिकारी के हस्ताक्षर




अनिल कुमार प्रसाद
रजिस्ट्रार सचिव
अकषरपुर जिला
02308/2021